

सामुदायिक भाषाओं में हेल्पलाइनें - हिंदी

तत्काल सहायता के लिए फ़ोन नंबर

परिस्थिति	संपर्क करें	फ़ोन
यदि आप बेघर हैं या अस्थाई रूप से रहने के लिए स्थान की आवश्यकता है	Link2Home 24 घंटे, 7 दिन	1800 152 152
घरेलू और पारिवारिक हिंसा	NSW Domestic Violence Line (न्यू साउथ वेल्ज़ घरेलू हिंसा लाइन) 24 घंटे, 7 दिन	1800 656 463
बाल दुर्व्यवहार या उनके साथ की जाने वाली लापरवाही की रिपोर्ट करें	Child Protection Helpline (बाल संरक्षण हेल्पलाइन) 24 घंटे, 7 दिन	13 21 11
आपातकाल परिस्थितियाँ (ईमर्जन्सी)	न्यू साउथ वेल्ज़ पुलिस, रोगी वाहन (एम्बुलेंस) और अग्निशामक दल (फ़ायर ब्रिगेड) 24 घंटे, 7 दिन	000
क्या आपको कानूनी सहायता की आवश्यकता है?	LawAccess (लॉ एक्सेस) सोम-शुक्र सुबह 9 बजे - शाम 5 बजे	1300 888 529
5-25 वर्ष की आयु के बच्चों और युवा वयस्कों के लिए निःशुल्क फ़ोन परामर्श सेवा	Kids Helpline (बच्चों की हेल्पलाइन) 24 घंटे, 7 दिन	1800 551 800
यदि आपको लगता है कि आपके साथ भेदभाव किया गया है तो सहायता के लिए एंटी-डिस्क्रिमिनेशन न्यू साउथ वेल्ज़ (Anti-Discrimination NSW) से संपर्क करें। यह सेवा निःशुल्क है	एंटी-डिस्क्रिमिनेशन न्यू साउथ वेल्ज़ सोम-शुक्र सुबह 9 बजे - शाम 4 बजे	1800 670 812
वृद्ध या विकलांग व्यक्ति जिसके साथ दुर्व्यवहार होने का खतरा है	न्यू साउथ वेल्ज़ बुढ़ापा और विकलांगता दुर्व्यवहार हेल्पलाइन सोम-शुक्र सुबह 8.30 बजे - शाम 5 बजे	1800 628 221
पड़ोसियों, परिवारों, व्यवसायों, समुदायों और संघों के बीच आपसी विवादों में सहायता के लिए एक निःशुल्क	Community Justice Centre (सामुदायिक न्याय केंद्र)	1800 990 777

सेवा। यह पैसों से संबंधित विवादों को सुलझाने में भी मदद कर सकती है।	सोम-शुक्र सुबह 9 बजे - शाम 430 बजे	
यदि आप किसी प्राकृतिक आपदा से प्रभावित हैं, तो आप सहायता के लिए योग्य हो सकते हैं।	आपदा कल्याण सहायता लाइन	1800 018 444
अपराध के पीड़ितों के लिए सहायता।	न्यू साउथ वेल्स पीड़ित सहायता लाइन (NSW Victims Access Line)	1800 633 063
	ऐबओरीजिनल (मूल निवासी) संपर्क लाइन सोम-शुक्र सुबह 9 बजे - शाम 5 बजे	1800 019 123
यदि आपको चिंता है कि आपके किसी परिचित के ऊपर, हिंसक उग्रवाद में शामिल होने का खतरा मंडरा रहा है, तो इस गोपनीय सहायता सेवा से संपर्क करें।	Step Together सोम-शुक्र सुबह 9 बजे - शाम 5 बजे	1800 875 204

दुभाषिया सेवाएँ

यदि आपको दुभाषिए की आवश्यकता है तो नीचे सूचीबद्ध दुभाषिया एजेंसियों को फ़ोन करें।

आवास के मामलों के लिए दुभाषिया

[All Graduates Translating and Interpreting Service](#) से संपर्क करें: 1300 652 488

सभी आवास संबंधी मामलों में निःशुल्क दुभाषिया के लिए। All Graduates (ऑल ग्रेजुएट्स) आवास प्रदाता को फोन करेंगे और आपके लिए अनुवाद करेंगे।

डिपार्टमेंट ऑफ़ कम्युनिटीज़ एण्ड जस्टिस (DCJ) दुभाषिए

अनुवाद और दुभाषिया सेवा ([TIS National](#)) से संपर्क करें: 131 450

निःशुल्क दुभाषिए के लिए फ़ोन करें और उन्हें वह फ़ोन नंबर दें जहाँ आप फ़ोन मिलाना चाहते/ती हैं।

- DCJ का दायित्व है कि वह साक्षात्कार (सवाल-जवाब) करते समय तथा जटिल मामलों या संवेदनशील मुद्दों पर बात करते समय एक योग्य दुभाषिए उपलब्ध कराएं।
- अधिकांश मामलों में, परिवार और दोस्त-मित्र दुभाषिए की भूमिका निभाना नहीं निभा सकते हैं, लेकिन वे साक्षात्कार या बैठक के दौरान सहायता प्रदान करने के आपके साथ मौजूद रह सकते हैं।
- परिवारवाले और मित्र-बंधु केवल तभी दुभाषिए के रूप में कार्य कर सकते हैं, जब DCJ को कोई योग्य टेलीफोन या ऑनसाइट दुभाषिया नहीं मिल पाता है।